P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय आचार्य महाप्रज्ञ आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्धनाऊ जिला चुरू का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजासर पंवारान, सरदारशहर जिला चुरू किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सुभाष चन्द्र द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 733/2018 सुभाष चन्द्र शर्मा बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 733/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 को अनियमित और विधि विरूद्ध बताते हुए अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा की सीमा तक अपास्त किया गया है। अतः माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 को अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा की सीमा तक एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप श्री सुभाष चन्द्र शर्मा राजकीय आचार्य महाप्रज्ञ आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्धनाऊ जिला चुरू में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुभाष चन्द्र/733/2018 दिनांकः 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चुरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/अपील–2716/2015 दिनांक 16.08.2017 द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 2716/2018 श्री नत्था सिंह चतुर्वेदी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 में श्री नत्था सिंह के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वतंत्रता के मद्देनजर श्री नत्था सिंह चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समकक्ष प्रधानाचार्य–उमावि) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रणधीरगढ़–वैर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर एवं श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रणधीरगढ–वैर जिला भरतपुर को अति.जि.शि.अ., कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, भरतपुर के पद पर पदस्थापित किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री नत्था सिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस. बी.सिविल याचिका संख्या 14876/2017 दायर की गई। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.09.2017 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2017 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप, प्रकरण में माननीय न्यायालय के अग्रिम/अन्तिम निर्णयाधीन श्री अशोक कुमार, तत्कालीन अति.जि.शि.अ., कार्यालय जि.शि.अ., माध्यमिक–प्रथम भरतपुर को प्रधानाचार्य राउमावि डहरा–नदबई जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर एवं श्री चतुर्वेदी को न्यायालय स्थगनादेश के आधार पर अग्रिम/अन्तिम निर्णयाधीन अति.जि.शि.अ. (माध्यमिक), कार्यालय जि.शि.अ., माध्यमिक–प्रथम भरतपुर में पदस्थापित किया गया।

याचिका संख्या 14876/2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2017 को निरस्त किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2017 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप श्री नत्था सिंह चतुर्वेदी अति.जि.शि.अ, (माध्यमिक), कार्यालय जि.शि.अ, माध्यमिक–प्रथम भरतपुर के पद पर एवं श्री अशोक कुमार, राउमावि–डहरा, नदबई जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/14876/नत्थासिंह/2018 दिनांकः 18.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)